



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश।

पत्रांक : 1588 वाद संख्या सी-769/एस-1/2025 सेक्टर-1

दिनांक: 02/09 2026

सेवा में,

मौ० शाहिद,
मुस्कान होटल वाली गली, माजरा,
देहरादून।

कृपया उक्त स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 20 गुणा 20 क्षेत्रफल में भूतल पर दुकानों व प्रथमतः पर आवासीय भवन का निर्माण करने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) धारा 28 (1) के अधीन जारी कर वाद संख्या सी-769/ एस-1/2025 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 30.05.2026 की सुनवाई/जबाब देने हेतु नियत की गयी। नोटिस स्थल पर आपके द्वारा स्वयं प्राप्त किया। दिनांक 01.12.2025, 8.12.2025, 22.12.2025, 19.01.2026, 28.02.2026, 28.03.2026, 04.04.2026, दिनांक 18.07.2026 एवं 29.08.2026 तक का पर्याप्त अवसर दिये जाने व शमन मानचित्र बनाने के लिए समय मांगने के उपरान्त भी अपने निर्माण का मानचित्र शमन नहीं कराया गया है। वाद विगत समय से लम्बित है। आप केवल वाद को लम्बित रखना चाहते हैं, जो न्यायहित में नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

-2/

Mohd. Shahid

Rm

आदेश

विपक्षी मौ0 शाहिद, मुस्कान होटल वाली गली, माजरा, देहरादून द्वारा उक्त स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 20 गुणा 20 क्षेत्रफल में भूतल पर दुकानों व प्रथमतः पर आवासीय भवन का निर्माण करने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 (1) धारा 28 (1) के अधीन जारी कर वाद संख्या सी-769/ एस-1/2025 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 30.05.2026 की सुनवाई/जबाब देने हेतु नियत की गयी। नोटिस स्थल पर विपक्षी द्वारा स्वयं प्राप्त किया। दिनांक 01.12.2025, 08.12.2025, 22.12.2025, 19.01.2026, 28.02.2026, 28.03.2026, 04.04.2026, दिनांक 18.07.2026 एवं 29.08.2026 तक का पर्याप्त अवसर दिये जाने व शमन मानचित्र बनाने के लिए समय मांगने के उपरान्त भी निर्माण का मानचित्र शमन नहीं कराया गया है। वाद विगत समय से लम्बित है। विपक्षी केवल वाद को लम्बित रखना चाहते हैं, जो न्यायहित में नहीं है। उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 तथा नियमावलिओं का मुख्या उद्देश्य नियोजित विकास को सुनिश्चित करना एवं अवैध निर्माणों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। ऐसी स्थिति में चालानशुदा निर्माण पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.12.2025 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।


संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। 

प्रतिलिपि- 1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु थानाध्यक्ष, पटेल नगर, देहरादून को निदेशित करने का कष्ट करें।

2-नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए/2024 दिनांक 07.01.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3-सम्बन्धित थानाध्यक्ष, पटेल नगर देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। 